

राजस्थान सरकार  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ.45(75)खा.ले./नीति/केरो./2015-16

जयपुर, दिनांक 23/1/18

:- अधिसूचना :-

केरोसीन (उपयोग, निबंधन, कीमत, नियतन) आदेश 1993 के खण्ड 2 (डी) (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 45 (75)खा.ले./नीति/केरो./2012-13 दिनांक 23.03.2017 एवं दिनांक 21.07.2017 के अधिक्रमण में दिनांक 23.01.2018 से केरोसीन ब्लू डार्ड (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत) की अधिकतम खुदरा विक्रय दर 25.70 रु. प्रति लीटर (जीएसटी सहित) समस्त खर्चों को सम्मिलित कर निर्धारित की जाती है। शेष शर्तें पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 45(75) खा.ले / नीति / केरो. / 2012-13 दिनांक 23.03.2017 के अनुसार यथावत रहेंगी।

sd  
(मुग्धा सिन्हा)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अवर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृति गैस मंत्रालय, भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त) राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, (खाद्य) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
8. उपायुक्त प्रथम/उपायुक्त (मु), खाद्य विभाग, जयपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी, राज. सरकार।
10. सार्वजनिक वितरण शाखा/पेट्रोलियम/केरोसीन शाखा/ मुख्यालय राजस्थान।
11. अध्यक्ष, राजस्थान केरोसीन डीलर्स एसोसियेशन, 22 गोदाम, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

M. Sinha

23.1.18

शासन सचिव